



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19062026-273643
CG-UP-E-19062026-273643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3018]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3018]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 12 जून, 2026

का.आ. 3139(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप) खण्ड-ii), दिनांक 20 अप्रैल 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1952 (अ) दिनांक 16 अप्रैल 2026 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों, अर्थात्: "हिन्दुस्तान", और "हिन्दुस्तान टाइम्स" में तारीख 29 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था;

और, इस परियोजना में प्राप्त सभी अक्षेपों का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ।

यह और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी ।

और, यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 (च) की उपधारा (04) के अनुसरण में उर्पयुक्त वर्णित भूमि में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मीरजापुर / (सिंचाई) के समक्ष अपना दावा इस अधिसूचना के प्रकाशन के आगामी 20 दिवस में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में चुनार तहसील के अंतर्गत 02 गांवों का सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मीरजापुर / (सिंचाई) के अधीन विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं	ग्राम का नाम	प्लॉट सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	भौरही	369	निजी	कृषि	0.0400	रसीद पुत्र जलील
						रफीक पुत्र जलील
						हलीम खॉ पुत्र अजीम खॉ
						असगर पुत्र गफूर खॉ
						मालती देवी पत्नी मिठाई सिंह
						निर्मला देवी पत्नी लालबहादुर
						मुन्नी देवी पत्नी किशोरी लाल
						मुन्ना अली पुत्र मजीद
						मेराज पुत्र मजीद
						वरकत पुत्र मजीद
						कुर्बान पुत्र आजाद
						उसमान पुत्र आजाद
						पप्पू पुत्र आजाद
						शौकत पुत्र आजाद
						सादिल पुत्र अकबर
						इकबाल पुत्र स्व० मुनौवर
						अम्बिया पत्नी स्व० अकबर
						इन्दू देवी पत्नी कन्हैया लाल
						सहवान खान पुत्र आजाद
						फैज पुत्र अकबर सं० चाचा खास इकबाल
				योग	0.0400	
2	धौरहरा	90	निजी/सरकारी	कृषि	0.1140	अभिमन्यू पुत्र अवधनरायन
						अमरनाथ पुत्र अवधनरायन
						अरविन्द प्रसाद पुत्र अवधनरायन

						अरुण पुत्र अवधनरायन
						उदयशंकर उर्फ शिवपाल पुत्र लल्लू
						ओम प्रकाश पुत्र अवधनरायन
						गोदावरी देवी पत्नी अवधनरायन
						गोपाल प्रसाद पुत्र लल्लू
						रीता त्रिवेदी पत्नी मनोज कुमार
						रेल मंत्रालय भारत सरकार
				योग	0.1140	
				महायोग	0.1540	

[इ. फा. सं. एन.सीआर.-एच. क्यू.शून्य.सी. ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.इला.

(कंप्यूटर सं. 51223), दिनांक: 24.11.2021]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 12th June, 2026

S.O. 3139(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Central Railway, Construction department), Notification number, **S.O. 1952 (E)** dated the **20th April, 2026** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the **16th April, 2026** (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely special railway project of Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) in **District Mirzapur** in the state of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “**Hindustan**” and “**Hindustan Times**” Dated: **29th April, 2026** under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, all the objections received in this project have been disposed of by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

And, that all persons interested in the above mentioned land in pursuance of sub-section (04) of section 20 (F) of the said Act by the Central Government are hereby informed that they may, personally or through an agent or legal practitioner, be notified by the competent authority **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur**, can submit his claim in the next 20 days from the date of publication of this notification in the office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) **02** villages in **Chunar Tehsil** of District **Mirzapur** in the state of Uttar Pradesh under **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur, District Mirzapur** in the State of Uttar Pradesh.

S.N.	Village Name	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Acquired Area (in Hect.)	Land Owner / Beneficiary Name
1	2	3	4	5	6	7
1	Bhaorahi	369	Private	Agriculture	0.0400	Rashid s/o Jalil
						Rafeeq s/o Jalil
						Haleem Khan s/o Ajeem khan
						Ashagar s/o Gafoor khan
						Malti devi w/o Mithae singh
						Nirmala devi w/o Lal Bahadur
						Munni devi s/o Kishorilal
						Munna ali s/o Mazeed
						Meraj s/o Mazeed
						Warkat s/o Mazeed
						Kurban s/o Aajad
						Ushman s/o Aajad
						Pappu s/o Aajad
						Shaokat s/o Aajad
						Sadil s/o Akabar
						Iqbal s/o Late Munauar
						Ambiya w/o Late Munauar
						Indu devi w/o kanhaiya
						sahban Khan s/o Aajad
						Faij s/o Akabar care taker uncle Iqbal
				Total	0.0400	
2	Dhaorahara	90	Pvt./govt.	Agriculture	0.1140	Abhimanyu S/o Awadhnarayan
						Amarnath S/o Awadhnarayan
						Arvind prasad S/o Awadhnarayan
						Arun S/o Awadhnarayan
						Udayashankar urf Shivpal S/o Lallu
						Omprakash S/o Awadhnarayan
						Godawari Devi W/o Awadhnarayan
						Gopal Prasad S/o Lallu
						Rita Trivedi W/o Manoj Kumar
						Railway Ministries India Govt.
				Total	0.1940	
				G. Total	0.1540	

[e-file No. NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD (Computer No.51223) Dated: 24.11.2021]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer/ (Construction)